दिनांक- 30.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 280/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 01.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 01.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 281/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध सख्त अभियान, 100 प्रेशर हॉर्न एवं 13 मोडिफाइड साइलेंसर नष्ट।

जनपद महोबा में आमजन को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाने एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद स्तर पर मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

उक्त अभियान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 100 प्रेशर हॉर्न एवं 13 मोडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए, जिन्हें नियमानुसार नष्ट कराया गया।

अभियान की मुख्य विशेषताएं:

- सड़क सुरक्षा एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता
- नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान एवं दण्डात्मक कार्यवाही
- आमजन को जागरूक करते हुए नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया

जागरूकता संदेश:

मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न केवल अवैध है, बल्कि इससे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो बुजुर्गों, बच्चों एवं मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह कृत्य समाज में असुविधा उत्पन्न करने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ाता है।

जनहित में अपील:

जनपद महोबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के अवैध साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें एवं यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।

चेतावनी:

भविष्य में भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

दिनांक- 01.07.2026

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 282/26

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित, प्रभावी पुलिसिंग एवं अपराध नियंत्रण को लेकर दिए आवश्यक निर्देश

दिनांक 30.06.2026 को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह की अध्यक्षता में मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम आयोजित मासिक सैनिक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। विशेष रूप से वेतन विसंगति से संबंधित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात आयोजित मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में ई-समन की प्रगति, गुमशुदा एवं अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी, 60 एवं 90 दिवस से लंबित विवेचनाओं, दो वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं, आईजीआरएस, सीसीटीएनएस तथा लंबित प्रार्थना पत्रों की विस्तृत समीक्षा की गई। दो वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-समन के निष्पादन में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक थाना प्रभारी गुमशुदा एवं अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा थानावार नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित करें। साथ ही विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जनपद में पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कर आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखने, सक्रिय अपराधियों पर सतत निगरानी रखने तथा उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अपराध नियंत्रण हेतु शस्त्र अधिनियम, जुआ अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, आबकारी अधिनियम सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करने पर विशेष बल दिया गया। महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में त्वरित, संवेदनशील एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

आगामी चुनावी वर्ष के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित भ्रमणशील रहकर आमजन से संवाद बनाए रखने, छोटे-छोटे विवादों का तत्काल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने तथा किसी भी घटना को गंभीर रूप लेने से पूर्व ही रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक सक्रिय अपराधी के संबंध में अद्यतन जानकारी रखते हुए उनके आपराधिक गतिविधियों पर पैनी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को अधीनस्थों के कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में प्रभावी पुलिसिंग, समयबद्ध विवेचना, अपराध नियंत्रण तथा जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड, क्षेत्राधिकारी चरखारी दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ अनुरुद्ध कुमार सिंह, सहित समस्त थाना प्रभारी, समस्त शाखा प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे

दिनांक- 01.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 283/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में थाना खऱेला क्षेत्र अंतर्गत मु0 मानिक में दिनांक 24.06.2026 को घटित घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा टीम गठित की गई।

उक्त क्रम में गठित टीम के उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह मय पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त राजेश अनुरागी उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र गुलजारी लाल निवासी ग्राम इमिलिया थाना राजनगर जनपद छतरपुर (म0प्र0) को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह
2. हे0का0 योगेन्द्र सिंह
3. का0 राघवेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश अनुरागी, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्र गुलजारी लाल, निवासी ग्राम इमिलिया थाना राजनगर जनपद छतरपुर (म0प्र0)

अपराध विवरण-

मु0अ0सं0 45/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

दिनांक- 01.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 284/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह थाना श्रीनगर जनपद महोबा द्वारा गठित टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में व0उ0नि0 विजय बहादुर मय टीम हे0का0 विनोद कुमार व का0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त शिवराम पुत्र मथुरा प्रसाद, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी मु0 मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0सं0 65/2013 सरकार बनाम शिवराम, धारा 504/506 भा.दं.सं. व एनसीआर नं0 220/11 थाना श्रीनगर जनपद महोबा में मु0 मनोहरगंज कस्बा श्रीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवराम पुत्र मथुरा प्रसाद, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी मु0 मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 विजय बहादुर
2. हे0का0 विनोद कुमार
3. का0 सुरेन्द्र कुमार

दिनांक- 01.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 285/26

महोबा पुलिस

UPTET-2026 परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण, दिये गये निर्देश।

आज दिनांक 01.07.2026 को जनपद महोबा में आयोजित UPTET-2026 परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं अपर जिलाधिकारी श्री कुंवर पंकज द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण/निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं, अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रबंध, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, पुलिस बल की तैनाती एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या अनुचित गतिविधि को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त न किया जाए।

अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा केन्द्रों पर कड़ी सतर्कता बनाए रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए तथा अभ्यर्थियों को सुगम, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती, मोबाइल टीमें, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) एवं यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

जनपद प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।